भारत सरकार

रेल मंत्रालय

लोक सभा

23.07.2025 के

अतारांकित प्रश्न सं. 553 का उत्तर

देश में नई रेल लाइन

553. श्री विजय कुमार दूबे:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान देश में नई रेल लाइनों के लिए स्वीकृत सर्वेक्षण का ब्यौरा क्या है और विशेषकर कुशीनगर और गोरखपुर लोकसभा क्षेत्रों में इसकी वर्तमान स्थिति का क्षेत्रवार/खंडवार ब्यौरा क्या है,

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान इन सर्वेक्षणों हेतु आबंटित और व्यय की गई धनराशि का क्षेत्रवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या रेलवे ने नई रेल लाइनें बिछाने के लिए ऐसी परियोजनाएं स्वीकृत की हैं जिनका सर्वेक्षण पूरा हो चुका है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्षेत्रवार/खंडवार क्या कारण हैं; और

(घ) क्या नई रेल लाइनें बिछाने के लिए पूर्ण हो चुकी सर्वेक्षण रिपोर्टों पर अंतिम निर्णय लेने के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित की गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

रेल, सूचना और प्रसारण एवं इलेक्ट्रोनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री

(श्री अश्विनी वैष्णव)

(क) से (घ): रेलवे परियोजनाओं का सर्वेक्षण/स्वीकृति/निष्पादन क्षेत्रीय रेल-वार किया जाता है न कि राज्य-वार/जिला-वार, क्योंकि रेल परियोजनाएँ राज्य की सीमाओं के आर-पार फैली हो सकती हैं। रेल परियोजनाओं को लाभप्रदता, यातायात अनुमानों, अंतिम स्थान तक संपर्कता, अनुपलब्ध

कड़ियों एवं वैकल्पिक मार्गों, संकुलित/संतृप्त लाइनों का संवर्धन, राज्य सरकारों, केन्द्रीय मंत्रालयों, संसद सदस्यों, अन्य जनप्रतिनिधियों द्वारा उठाई गई मांगों, रेलवे की अपनी परिचालनिक आवश्यकताओं, सामाजिक-आर्थिक महत्व आदि के आधार पर स्वीकृत किया जाता है जो चालू परियोजनाओं के थ्रो-फॉरवर्ड और निधियों की समग्र उपलब्धता पर निर्भर करता है।

पिछले तीन वर्षों अर्थात् वित्त वर्ष 2022-23, 2023-24, 2024-25 और चालू वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान, देश भर में कुल 25,740 किलोमीटर लंबाई की नई लाइनों के लिए 267 सर्वेक्षण स्वीकृत किए गए हैं, जिनमें कुशीनगर और गोरखपुर सहित उत्तर प्रदेश में पूर्णतः/अंशतः पड़ने वाली 1,866 किलोमीटर की लंबाई वाले 32 सर्वेक्षण शामिल हैं।

पिछले 03 वर्षों अर्थात् वित्त वर्ष 2022-23, 2023-24 और 2024-25 के दौरान समूची भारतीय रेल के सर्वेक्षणों पर 244 करोड़ रुपए का व्यय किया गया हैं।

इसी प्रकार, पिछले तीन वर्षों अर्थात् वित्त वर्ष 2022-23, 2023-24, 2024-25 और चालू वित्त वर्ष के दौरान, भारतीय रेल में कुल 9,703 किलोमीटर लंबाई की 237 परियोजनाओं (40 नई लाइन, 17 आमान परिवर्तन और 180 दोहरीकरण) को मंजूरी दी गई है, जिनकी लागत लगभग 1,90,333 करोड़ रुपए है, जिनमें गोरखपुर, कुशीनगर में पूर्णत:/अंशतः पड़ने वाली निम्नलिखित परियोजनाएं शामिल हैं:-

(i) गोरखपुर कैंट-वाल्मीकिनगर (96 कि.मी.) का दोहरीकरण 1120 करोड़ रुपए की लागत से स्वीकृत किया गया है;

(ii) आनंदनगर- घुघली (53 कि.मी.) तक नई लाइन को 959 करोड़ रुपए की लागत से मंजूरी दी गई है;

इसके अलावा, हाल ही में छितौनी-तमकुही रोड (62.5 कि.मी.) नई लाइन परियोजना का कार्य शुरू किया गया है।

उत्तर प्रदेश राज्य में पूर्णतः/अंशतः पड़ने वाली नई लाइन परियोजनाएँ भारतीय रेल के उत्तर रेलवे, उत्तर मध्य रेलवे, पूर्वोत्तर रेलवे, पूर्व मध्य रेलवे और पश्चिम मध्य रेलवे जोनों के अंतर्गत आती हैं। रेल परियोजनाओं का क्षेत्रीय रेल-वार ब्यौरा भारतीय रेल की वेबसाइट पर सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराया जाता है।

दिनांक 01.04.2025 तक, 10 नई लाइनें स्वीकृत की गई हैं, जिनकी कुल लंबाई 1,227 किलोमीटर है और लागत 22,854 करोड़ रुपए है, जो पूर्णतः/अंशतः उत्तर प्रदेश राज्य में पड़ती हैं, जिनमें से 340 किलोमीटर लंबाई को कमीशन कर दिया गया है और मार्च 2025 तक 10,517 करोड़ रुपए का व्यय किया जा चुका है।

उत्तर प्रदेश में पूर्णतः/अंशतः पड़ने वाली अवसंरचना परियोजनाओं और संरक्षा कार्यों के लिए बजट आवंटन निम्नानुसार है:

अवधि	परिव्यय
2009-14	1,109 करोड़ रु. प्रतिवर्ष
2025-26	19,858 करोड़ रु. (लगभग 18 गुना)

वर्ष 2009-14 और 2014-25 के दौरान उत्तर प्रदेश राज्य में पूर्णतः/अंशतः पड़ने वाले नए रेलपथ की कमीशनिंग/बिछाने का ब्यौरा निम्नानुसार है:-

अवधि	कमीशन किए गए नए रेलपथ	नए रेलपथ की औसत कमीशनिंग
2009-14	996 कि.मी.	199.2 किलोमीटर प्रतिवर्ष
2014-25	5,272 कि.मी.	479.3 किलोमीटर प्रतिवर्ष (2 गुना से ज्यादा)

किसी भी परियोजना का पूरा होना राज्य सरकार द्वारा शीघ्र भूमि अधिग्रहण, वन विभाग के प्राधिकारियों द्वारा वन संबंधी मंजूरी, लागत में हिस्सेदारी वाली परियोजनाओं में राज्य सरकार द्वारा लागत हिस्से की राशि को जमा करना, परियोजनाओं की प्राथमिकता, अतिलंघनकारी जनोपयोगी सेवाओं का स्थानांतरण, विभिन्न प्राधिकरणों से सांविधिक स्वीकृतियां, क्षेत्र की भौगोलिक और स्थलाकृतिक परिस्थितियां, परियोजना स्थल के क्षेत्र में कानून एवं व्यवस्था की स्थिति, जलवायु परिस्थितियों के कारण परियोजना स्थल विशेष के लिए वर्ष में कार्य के महीनों की संख्या आदि जैसे विभिन्न कारकों पर निर्भर करता है।

रेल परियोजनाओं के त्वरित अनुमोदन और कार्यान्वयन के लिए सरकार द्वारा कई कदम उठाए गए हैं जिनमें (i) गति शक्ति इकाइयां स्थापित करना (ii) परियोजनाओं की प्राथमिकता निर्धारित करना (iii) प्राथमिकता वाली परियोजनाओं के लिए निधियों के आबंटन में पर्याप्त वृद्धि करना (iv) फील्ड स्तर पर शक्तियों का प्रत्यायोजन (v) विभिन्न स्तरों पर परियोजना की प्रगति की गहन निगरानी और (vi) शीघ्र भूमि अधिग्रहण, वानिकी और वन्य जीव संबंधी मंजूरियों और परियोजनाओं से संबंधित अन्य मुद्दों के समाधान के लिए राज्य सरकारों और संबंधित प्राधिकरणों के साथ नियमित रूप से अनुवर्ती कार्रवाई करना शामिल हैं। इसके परिणामस्वरूप, 2014 से कमीशनिंग दर में बहुत अधिक वृद्धि हुई है

*****